

एक्सपोजर ड्राफ्ट
EXPOSURE DRAFT

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढाँचा)
दिशानिर्देश, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Fraud Monitoring Framework) Guidelines, 2024

1. परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/एसडीडी/विविध/सीआईआर/009/01/2013 दिनांक 21 जनवरी 2013 के अनुसार, आईआरडीएआई ने धोखाधड़ी से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों का समाधान और प्रबंध करने के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा लिये गये उपायों की पर्याप्तता संबंधी विनियामक पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढाँचा जारी किया।

2. तदुपरांत, वर्षों से धोखाधड़ी के स्वरूप और तीव्रता में पर्याप्त परिवर्तन को देखते हुए, उक्त ढाँचे की समीक्षा की गई है तथा बीमा क्षेत्र के लिए एक व्यापक बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढाँचा दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है।

3. अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं द्वारा अनुसरण की जानेवाली पद्धतियों तथा इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अंतर्दृष्टियाँ ग्रहण करते हुए, उक्त प्रारूप एक संवर्धित ढाँचा उपलब्ध कराता है जिसमें धोखाधड़ी की पहचान, कुशल धोखाधड़ी प्रबंध, सुदृढ़ धोखाधड़ी निवारण के लिए उन्नत उपाय, तथा अन्य संगत पहलू शामिल किये गये हैं।

4. उक्त संशोधित बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढाँचा संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप हितधारकों और जनसाधारण की टिप्पणियों / सुझावों के लिए प्रस्तुत है।

5. प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ / सुझाव sdd@irdai.gov.in को निर्धारित फार्मेट में 13 नवंबर 2024 को या उससे पहले प्रस्तुत किये जाएँ।

1. Vide Circular Ref. No. IRDA/SDD/MISC/CIR/009/01/2013 dated 21st January 2013, IRDAI issued the extant Insurance Fraud Monitoring Framework to provide regulatory supervision and guidance on the adequacy of measures taken by insurers to address and manage risks emanating from fraud.

2. In view of the substantial change in the nature and intensity of fraud over the years since, the Framework has been reviewed and a comprehensive insurance fraud monitoring framework guidelines for the insurance sector is drafted.

3. Drawing insights from practices followed by other financial sector regulators and international best practices in this domain, the draft provides an enhanced framework that includes advanced measures for fraud detection, efficient fraud handling, robust fraud prevention, and other relevant aspects.

4. The draft guidelines on the revised insurance fraud monitoring framework are placed for comments/suggestions of the stakeholders and public.

5. Comments / suggestions on the proposed guidelines may be submitted to sdd@irdai.gov.in in the given format on or before 13th November, 2024.

सुझावों के लिए फार्मेट इसके साथ संलग्न है।

Format for suggestions is attached herewith.

निमिषा श्रीवास्तव / Nimisha Srivastava

महाप्रबंधक / General Manager